

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 600 / 2015

संस्थापन दिनांक 18.08.2015

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड
म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—इन्द्रवीर जाटव पुत्र ईश्वरीप्रसाद जाटव निवीस
फ्लेक्स फैक्ट्री रोड हरीरामपुरा मालनपुर जिला भिण्ड

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर धारा 294 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 327 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 11.07.15 को 21:00 बजे बिजली घर के पास हरीरामपुरा मालनपुर जिला भिण्ड पर श्रीकृष्ण अ0सा01 से उद्दापन कारित करने के आशय से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.07.15 को रात्रि 09:00 बजे श्रीकृष्ण अ0सा01 बाजार से अपने घर जा रहा था तब बिजली घर के पास आरोपी इन्द्रवीर मिला जिसने शराब के लिए 200/-रुपये मांगे फरियादी द्वारा मना करने पर आरोपी ने अश्लील गालियां दीं और लात घूंसे से मारपीट की जिससे फरियादी के दाहिने पैर की एड़ी व पीठ में चोट आई उसके चिल्लाने पर राजेन्द्र अ0सा02 व सतेन्द्र ने बचाया। तत्पश्चात फरियादी श्रीकृष्ण जाटव अ0सा01 की रिपोर्ट पर से थाना थाना मालनपुर पर अप0क्र0 118/15 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
3. आरोपी ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया

है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपी ने दिनांक 11.07.15 को 21:00 बजे बिजली घर के पास हरीरामपुरा मालनपुर जिला भिण्ड पर श्रीकृष्ण अ0सा01 से उद्दापन कारित करने के आशय से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. श्रीकृष्ण अ0सा01 ने कथन किया है कि एक वर्ष पूर्व वर्षात के समय 8-9 बजे वह सामान लेकर अपने घर जा रहा था। आरोपी ने अपने साथ चलने को कहा रात ज्यादा होने से उसने मना किया तो आरोपी शराब के नशे में गालियां देने लगा मना करने पर उसे पटककर भाग गया जिससे उसके लग गयी। उसने थाने पर एफ.आई.आर. प्र0पी-1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी-2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 11.07.15 को आरोपी ने उससे शराब पीने के लिए 200/- रुपये मांगे और न देने पर मारपीट की और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
6. साक्षी राजेन्द्र अ0सा02 ने घटना की जानकारी होने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि श्रीकृष्ण अ0सा01 से आरोपी ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे और न देने पर मारपीट की और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-4 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
7. अतः फरियादी श्रीकृष्ण अ0सा01 व साक्षी राजेन्द्र अ0सा02 जोकि अभियोजन मामले में घटना के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष साक्षी हैं, के द्वारा स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपी ने उद्दापन कारित किया अथवा फरियादी को उपहति कारित की। अतः स्वयं आहत व फरियादी श्रीकृष्ण अ0सा01 व साक्षी राजेन्द्र अ0सा02 द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 11.07.15 को 21:00 बजे बिजली घर के पास हरीरामपुरा मालनपुर जिला भिण्ड पर श्रीकृष्ण अ0सा01 से उद्दापन कारित करने के आशय से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
8. परिणामतः आरोपी को धारा 327 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
9. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0